न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/218

1. अमरलाल पुत्र स्व0 श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. चतरा पुत्र स्व0 श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) ।
3. लटूर पुत्र स्व0 श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
4. हीराबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
5. सीताबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
6. कैलाश बाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
7. कच्छू बाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
8. रमाबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
9. रूपीबाई पत्नि स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राहुल विजय पुत्र श्री आर. डी. विजय, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 1–च–13 विज्ञाननगर कोटा (राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कन्हैयालाल शाक्यवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 28.07.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रैट (मुख्यालय), कोटा द्वारा वाद सं0 48/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए. 188 आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित थी, जो आराजी किशना, रूपा, देवा, परसा पिसरान गिरधारी जाति बंजारा, निवासी खेड़ाजगपुरा के संयुक्त खाते में दर्ज थी। जो उक्त चारों भाईयों को आवंटन की गई थी। जो आवंटन के 10 वर्ष बाद उनको खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी और सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग, पृथक पृथक कर अपने अपने हिस्से की आराजी विक्रय कर दी थी। उसी आराजी में से वादी रेस्पो0 ने खसरा नं. 52 से बने नये नं0 59 की 0.30 हेक्टर भूमि दिनांक 03.06.1995 को सम्पूर्ण राशि अदा कर परसा जी से खरीद की थी, जो उसका हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि थी, जिस पर विक्रेता परसा, जो प्रतिवादी क्रम 1 से 9 के पिता व पति थे, उसने मौके पर वक्त विक्रय आराजी पर कब्जा भी वादी रेस्पो0 को सुपुर्द कर दिया था, तबसे लगातार आज दिन तक विगत 20 वर्षों से वादी उक्त आराजी पर बतौर मालिक व स्वामी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और वादी रेस्पो0 उक्त आराजी को खरीद व निरन्तर कब्जे के आधार पर अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग ने खसरा नं0 52 से बने नये नं0 59 में गलत रूप से सेटलमेंट के पूर्व खातेदारी वाली भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया, जो सेटलमेंट को एकजेस्टिंग रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं होने से सेटलमेंट का इस प्रकार का कृत्य प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने से प्रतिवादीगण का पिता पूर्ववत खातेदार ही माना जावेगा, और उसे अपने खाते की भूमि विक्रय कर कब्जा संभलाने का भी पूर्ण अधिकार था। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट द्वारा गलत रूप से खातेदारी की भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज किया गया है, जो कि वादी रेस्पो0 दुरुस्ती इन्द्राज करा कर पूर्ववत परसा जी खातेदार दर्ज रिकार्ड होने के आधार पर खरीद व निरन्तर कब्जे के अनुसार अपने खातेदारी में दर्ज कराने व इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादी रेस्पो0 ने अनेकों बार राजस्व अधिकारियों से इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किये किन्तु इन्द्राज दुरुस्ती नहीं की गई और दिनांक 10.06.2015 को तहसीलदार साहब लाडपुरा ने इन्द्राज दुरूस्ती करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वादी रेस्पो0 उक्त आराजी का खरीददार व मालिक आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण के पिता, जो कि आराजी के खातेदार दर्ज थे, उन्हें अपने हिस्से की व खाते की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, और इसी आधार पर दौराने सेटलमेंट उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु सेटलमेंट विभाग ने गलत तौर पर रिकार्ड में प्रतिवादीगण अपीलांट का नाम दर्ज कर दिया है और राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण अपीलांट ताकत के बल पर वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करते हैं, और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास करते है तथा दिनांक 10.06.2015 को भी उन्होंने मौके पर आकर वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत की और वादी रेस्पो0 के मना करने पर झगडा फसाद पर उतारू हो गये तथा धमकी दी कि उक्त भूमि उनके खातेदारी में दर्ज है इसलिये अब वहीं इस पर काश्त करेंगे, और जिसे चाहेंगे विक्रय भी करके रहेगें और यदि वादी से रोकने का प्रयास किया तो वादी रेस्पो0 को जान से मार कर खत्म कर देगें और

वादी रेस्पो0 की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया, इसलिये प्रतिवादीगण अपीलांट के अवैधानिक कृत्य को रोकने हेतु वादी रेस्पो0 को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। अन्त में वादी रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाने का निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी का खातेदार वादी को घोषित करते हुए उक्त आराजी प्रतिवादी 01 लगायत 09 के खाते से हटाई जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज की जाए, तथा इसी अनुरूप रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। तथा प्रतिवादी 01 लगायत 09 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वादी की वाद पत्र की मद सं0 01 में वर्णित आराजी पर किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न आराजी पर वादी को बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास करे, और न ही उक्त आराजी या भाग को विक्रय व खुर्द बुर्द करे।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 59 रकबा 0.30 हैक्टेयर की इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–09–2017 अपीलान्ट्स को बिना कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय रूप से पारित की गई है, जिसकी प्रार्थीगण अपीलान्ट्स को जानकारी होने पर प्रार्थीगण अपीलान्ट्स ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तगर्त आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया, जिसको माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–08–2022 को खारिज फरमा दिया गया, जिसकी नकल लेने के हिये

दिनांक 17–08–2022 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल दिनांक 26–08–2022 को प्राप्त होने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री की दिनांक 12–09–2017 से प्रार्थनापत्र अन्तगर्त आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के निर्णय की दिनांक 16–08–2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 26–08–2022 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त प्रकार प्रार्थीगण अपीलान्ट्स ने जानबूझ कर अपील पेश करने में देरी नहीं की है, उपरोक्त प्रकार अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक एवं क्षम्य है, न्यायहित में माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री की दिनांक 12–09–2017 से प्रार्थनापत्र अन्तगर्त आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के निर्णय की दिनांक 16–08–2022 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 26–08–2022 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई विलंब अवधि का क्षम्य करते हुए अपील की विधिवत सुनवाई करवाये जाने के लिए निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून के विधि मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 8 के पिता एवं 9 के पति द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को कभी बेचान नहीं किया गया है, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसके आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी प्राप्त करने हेतु जो वाद प्रस्तुत किया गया वह भी अपीलान्ट्स के पिता एवं पति की मृत्यु होने के बाद पेश किया गया है, ताकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा उक्त द्वाराजी के सम्बन्ध में फर्जी रूप से बनाये नए दस्तावेज की आड में खातेदारी प्राप्त कर सके, इसलिये रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट्स को प्रोपर तामील नहीं करवाई जाकर अन्य किन्ही दो महिलाओं को तामील करवा दी गई, जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलान्ट्स स्वर्गीय श्री परशा जी के समय से ही उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को उक्त आराजी स्वर्गीय श्री परसा जी ने न तो बेचान की और ना ही उक्त आराजी पर कब्जा दिया गया, उक्त आराजी पर अपीलान्ट्स का ही कब्जा चला आ रहा है, और आज भी उक्त आराजी पर अपीलान्ट्स का ही कब्जा काश्त है, इसलिये रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा झूठे कथनों के आधार पर कि अपीलान्ट्स प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 9 के पिता एवं पति द्वारा जमीन का बेचान दिनांक 03–06–1995 को कर दिया और कब्जा भी सुपुर्द कर दिया जाना बता दिया, जिसके आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट्स को उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–09–2017 की जानकारी तब हुई जब माननीय अधीनस्थ न्यायालय से इजराय के सम्मन दिनांक 02–08–2018 को प्राप्त हुये,

तब अपीलान्ट्स ने उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आफ्ता दीवानी का पेश किया गया, जिसमें अपीलान्ट्स द्वारा कहा गया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को प्रोपर सूचना नहीं करवाई गई, और इस कारण अपीलान्ट्स माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य किन्ही दो महिलाओं को तामील करवाया जाना मानकर अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई, जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन दो महिलाओं को तामील करवाना माना है, यह भी अपीलान्ट्स के परिवार की नहीं है, इस सम्बन्ध में भी अपीलान्ट्स की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत करवाये गये है, इसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी दिनांक 16–08–2022 को खारिज फरमा दिया गया, इस कारण अपीलान्ट्स अब माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–09–2017 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किये गये निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने के पश्चात अपीलान्ट्स के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के विरुद्ध पुलिस थाना अनन्तपुरा कोटा में शिकायत दर्ज करवाई गई, तत्पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के विरुद्ध एक इस्तगासा श्री माननीय न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 5 दक्षिण कोटा में प्रस्तुत कर रखा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सम्मन की प्रोपर तामील नहीं करवाई जाकर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, जिसकी वजह से माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही पूर्ण रूप से कानूनी बिन्दुओं के विपरीत है, जो कि निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपीलान्ट्स की सम्मन की तामील जिन दो महिलाओं ने प्राप्त कर हस्ताक्षर किये है, वह न तो वाद में पक्षकार है, और न ही उनके परिवार की सदस्य है। इसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना और जवाब व साक्ष्य लिए बिना अपीलान्ट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये निर्णय व डिकी पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत सीपीसी 151 पेज 175, सीपीसी आदेश 41 नियम 03 पेज 445–446, Western Law Cases Raj 1998 (3) पेज 377, व CT(SC) 2012 (2) पेज 480, DNJ (RAJ) 2020 (3) पेज 625 व आर आर टी 2007 (2) पेज 1052 पेश किए। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 12.09.2017 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

8. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 01 के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा जो अपील माननीय न्यायालय में निर्णय व डिकी दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, वह प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 48/2015 में निर्णय दिनांक

12.09.2017 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को मन्सूख कराने हेतु अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रथक से दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण संख्या 98/2018 माननीय अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 16.08.2022 को अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का खारिज कर दिया है और उक्त प्रार्थना पत्र अवधि बाधित मानते हुये खारिज किया गया है क्योकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.08.2018 नियत तारीख की जानकारी अपीलान्ट्स को होना मानकर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 नियम 13 सीपीसी दिनांक 04.10.2018 को जो अपीलान्ट्स द्वारा पेश किया है उसे जानकारी की तिथि से अवधि बाधित माना गया है और इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2022 से आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया था उसे खारिज कर दिया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स ने कोई अपील न्यायालय में प्रस्तुत नही की है और सीधे माननीय न्यायालय में 12.09.2017 को जो एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई थी, के विरूद्ध यह सीधी अपील प्रस्तुत की है जबकि कानून नियम यह है कि या तो अपीलान्ट्स आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मे अधीनस्थ न्यायालय मे एक्सपार्टी डिक्री को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है या सीधे माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि अपीलान्ट्स आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मे प्राप्त अधिकार काम मे ले चुके है इसलिये उक्त अपील एक पक्षीय निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत होने से कानूनन मेन्टेनेबल नही होने से खारिज होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय मे जो अपील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गई है वह 6 वर्ष से भी अधिक समय बाद प्रस्तुत की गई है जबकि उन्हें एक्स पार्टी निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 04.10.2018 को जब प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रस्तुत किया था तभी हो चुकी थी और वह भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि बाधित मान कर खारिज की जा चुकी है। इसलिये निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से होने के कारण अपील पूर्ण रूप से बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील ही जब मेन्टेनेबल नही है तो उसमे किसी भी प्रकार का संशोधन कराने का अधिकार भी अपीलान्ट्स के पास नही है और उक्त अपील सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर व मेन्टेनेबल न होने के आधार पर सुनी जाकर खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपीलान्ट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की है और उसके साथ जो कानूनी नजीरे प्रस्तुत की है वह प्रस्तुत अपील पर चस्पा नही होती है क्योंकि उक्त नजीरो मे ऑर्डर 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद एक्सपार्टी निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत नही की गई है। इसलिये न तो मियाद के बिन्दु पर प्रस्तुत नजीर एवं न ही अमेन्डमेन्ड के प्रार्थना पत्र के बिन्दु पर प्रस्तुत नजीर अपीलान्ट्स की अपील पर चस्पा होती है और अपील अपीलान्ट्स अवधि बाधित व मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक पक्षीय डिक्री के विरूद्ध या तो आदेश 8 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है या सीधे अपील प्रस्तुत की जा सकती है किन्तु न तो अपील प्रस्तुत करने के बाद ऑर्डर 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और न ऑर्डर 9 रूल 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अपील ही प्रस्तुत की जा सकती है। ए0आई0आर0 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 226 में ऑर्डर 9 रूल 13 एवं ऑर्डर 41 रूल 3(ए) एवं दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के मामले में सुनते

हुये यह मत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि दो रेमेडी में से एक रेमेडी अपीलान्ट्स द्वारा ली गई है तो दूसरी रेमेडी के लिये आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। ए0आई0आर0 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 626 में भी यह मत माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने प्रकट किया है कि एक ही रेमेडी एक पक्षीय निर्णय व डिक्री मे लागू होगी और यह मानते हुये कि ऑर्डर 9 रूल 13 की रेमेडी प्रार्थी द्वारा लेने के उपरान्त अपील मेन्टेनेबल नही मानते हुये खारिज की गई है और इसी आधार पर 2021 पार्ट (1) डी0एन0जे0 (रेवेन्यू) पेज 149 मे भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है एवं 1997 आर0आर0डी0 पेज 620 में भी यह मत निर्णित किया गया है कि एक पक्षीय डिक्री की कार्यवाही में दोनो रेमेडी में से अपीलान्ट मात्र एक ही रेमेडी काम ले सकता है। इसलिये भी अपील कानूनन मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जानकारी होने के बाद अवधि बाधित प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। आर० आर0 टी0 2013 पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट पेज 887. आर० बी० जे० 2016 पेज 20. के अनुसार भी अपील ऑर्डर 41 रूल 3(ए) के तहत मियाद के बिन्दु पर सर्वप्रथम निर्णित किये जाने योग्य है एवं अपील मेन्टेनेबल न होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है और रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मेन्टेनेबल न होने अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक पक्षीय डिक्री मे यह तथ्य नही माना जा सकता है कि सर्विस कानूनी तौर पर नही हुई हो। 1990 आर0 आर0 डी0 पेज 125 राजस्थान उच्च न्यायालय जस्टिस एस०एस० भार्गव द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये भी अपीलान्ट्स द्वारा जो बात ऑर्डर 9 रूल 13 के प्रार्थना पत्र में अंकित की थी कि उन्हें कानूनन तामील नही हुई वही बात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में कही गई है। अपीलान्ट्स ने जो प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41 रूल 3 का माननीय न्यायालय मे अमेन्डमेन्ट का प्रस्तुत किया है उसमे अमेन्डमेन्ड के प्रावधान ही नही है और उसके समर्थन मे ऑर्डर 3 रूल 17 की नजीरे पेश की गई और जो दावे में ट्रायल के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में लागू होती है न कि अपीलीय न्यायालय में इसलिये अपीलान्ट्स द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत नजीर अपीलान्ट्स के कथन का सर्मथन नही करती है और न ही उक्त मामले मे चस्पा होती है। इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अमेन्डमेन्ट स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है क्योकि जिस अपील में वह अमेन्डमेन्ट चाहते है वह अपील ही कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है। इसलिये अमेन्डमेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है एवं अपील मेन्टेनेबल न होने एवं नियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स ने अपनी लिखित बहस मे जो कथन अंकित किये है वह अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 रूल 13 व प्रस्तुत अपील जो पेश कर रखी है उससे पृथक है और जिन बातो का उल्लेख किया है वह माने जाने योग्य नही है क्योकि अवधि बाधित अपील में प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र का जवाब बहस के पूर्व कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है एवं कानूनन प्रथम दृष्टया जो अपील मेन्टेनेबल नही है उसके संबंध मे आपत्ति प्रार्थना पत्र भी कानूनन बहस से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है और जो अपील ही प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नही है और अवधि बाधित है उसमे किसी भी प्रकार का अमेन्डमेन्ड कराने का न तो प्रावधान है और न ही अपीलान्ट्स को कानूनन अधिकार ही है। इसलिये अपीलान्ट

द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या प्रार्थना–पत्र 98/2018 की आदेशिका तथा उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2022 का अवलोकन करवाया साथ ही कथन किया कि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 1994 आर.आर.डी. 620, 2005 ए.आई.आर. एस.सी. पेज 226, 2005 ए.आई.आर. एस.सी. पेज 626, 2021 पार्ट–1 डी.एन. जे.(रेवेन्यु) पेज 149, आर.आर.डी. 1990 पेज 125 एच.सी., आर.आर.टी. 2013(2) एस.सी. पेज 887, आर.बी.जे. 2016 पेज 20, आर.बी.जे. 2016 पेज 393, डी.एन.जे. 2014 एस.सी. पेज 297, आर.आर.डी. 1989 पेज 458 प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील कानूनन मेन्टेनेबल नही होने और अवधि बाधित होने से सव्यय खारिज फरमाई जाने और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा दौराने बहस अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 का है तथा अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 15.09.2022 को पेश की है। यानि अपीलांट ने प्रश्नगत निर्णय व डिक्री के लगभग 5 वर्ष बाद अपील पेश की है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस है। अपीलांट प्रार्थी ने अपने धारा–5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि, " यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2017 अपीलांट को बिना कोई सूचना अथवा सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय रूप से पारित की गई है, जिसकी प्रार्थीगण अपीलांट को जानकारी होने पर प्रार्थीगण अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया, जिसको माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2022 को खारिज फरमा दिया , जिसकी नकल लेने के लिये दिनांक 17.08.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल दिनांक 26.08.2022 को प्राप्त होने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के निर्णय की दिनांक 16.08.2022 तक की अवधि एंव नकल लेने में लगा समय दिनांक 26.08.2022 तक की अवधि को मियादं में से कण्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।" अपीलांट की ओर से अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 12.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है न कि आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के निर्णय के विरूद्ध। जिससे अपील में हुए विलम्ब की अवधि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.09.2017 की जानकारी होने की तिथि से निर्धारित होती है। हमारे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 98/18 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के निर्णय की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत है जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 की जानकारी दिनांक 30.08.2018 को होना उल्लेखित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 16.08.2022 में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. को अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2022 में प्रतिवादीगण को तामील होना माना है। इस कारण अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 अधीनस्थ न्यायालय में खारिज कर दिया। न्यायालय हाजा में प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध लगभग 5 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। अपील प्रस्तुत करने में हुए लगभग 5 वर्ष लम्बे विलम्ब का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण अपीलांट प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में हस्तगत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। चूंकि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज योग्य है, अतः इस पर आगे ओर गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम अस्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 12.09.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाब्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बहजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/218

1. अमरलाल पुत्र स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
2. चतरा पुत्र स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०) ।
3. लटूर पुत्र स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
4. हीराबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
5. सीताबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
6. कैलाश बाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
7. कच्छू बाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
8. रमाबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
9. रूपीबाई पत्नि स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राहुल विजय पुत्र श्री आर. डी. विजय, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 1–च–13 विज्ञाननगर कोटा (राज०)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।

—रेस्पोडेन्ट

राहुल विजय पुत्र श्री आर. डी. विजय, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 1–च–13 विज्ञाननगर कोटा (राज0)।

——वादी

बनाम

1. अमरलाल पुत्र स्व0 श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. चतरा पुत्र स्व0 श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) ।
3. लटूर पुत्र स्व0 श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
4. हीराबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
5. सीताबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
6. कैलाश बाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
7. कच्छू बाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
8. रमाबाई पुत्री स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
9. रूपीबाई पत्नि स्व० श्री परसा, जाति बन्जारा, निवासी ग्राम जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 48/2015 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्यालय कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 28.07.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कन्हैयालाल शाक्यवाल, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.09.2017 बहाल रखी जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिकी आज तारीख 28.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा